न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारी:– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

प्रकरण सख्या : 27/2020
बउनवान:–

मोंटू उर्फ बलवीर सिंह पुत्र पर्वत सिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ तह0 मांगरोल जिला बारां हाल निवासी कोटा रोड बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांक: 03.03.2020

निर्णय दिनांक : 18.02.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी का नाम मोंटू उर्फ महेन्द्र सिंह पुत्र पर्वत सिंह जमाबंदी ग्राम रेनगढ तहसील मांगरोल की खाता संख्या 94 में खसरा नं0 28 रकबा 1.19 है0 में शामलाती खातेदारी में दर्ज हो रहा है। प्रार्थी को मोंटू उर्फ बलवीर सिंह पुत्र पर्वत सिंह के नाम से जानते है। और प्रार्थी अपने सभी काम इसी नाम से करता है तथा दस्तावेज भी इसी नाम से बने हुऐ है। प्रार्थी का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बचत खाता डायरी यूको बैंक शाखा बारां, राशन कार्ड, टीसी स्कूल सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम बलवीर सिंह पुत्र पर्वत सिंह जाति राजपूत दर्ज हो रहा है जो सही नाम है तथा ग्राम पंचायत महलपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी मोंटू उर्फ महेन्द्र सिंह दर्ज है। जमाबंदी में प्रार्थी का नाम मोंटू उर्फ महेन्द्र सिंह गलत दर्ज हो जाने से प्रार्थी किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का फायदा नही उठा पा रहा है। अतः राजस्व रेकार्ड जमाबंदी ग्राम रेनगढ की खाता संख्या 94 में दर्ज आराजी खसरा नं0 28 रकबा 1.19 है0 में प्रार्थी का नाम मोंटू उर्फ महेन्द्र [illegible] के स्थान पर मोंटू उर्फ बलवीर सिंह किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:22:57 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत [illegible] दिनांक 03.03.2020 को [illegible]स्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2020/677 दिनांक 17.12.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम रेनगढ की खाता संख्या 94 में मोंटू उर्फ महेन्द्र सिंह पुत्र पर्वत सिंह राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के बैंक खाता, भामाशाह, आधार कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी

का नाम बलवीर सिंह दर्ज है अतः सही नाम मोंटू उर्फ बलवीर सिंह का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 18.02.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि से भी वादी का नाम मोंटू उर्फ बलवीर सिंह पुत्र पर्वत सिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में गवाह स्वयं व भानूप्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी रेनगढ के बयान करवाये गयें। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 18.02.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम रेनगढ तहसील मांगरोल की खाता संख्या 94 में खसरा नं0 28 रकबा 1.19 है0 में की राजस्व जमाबंदी में दर्ज मोंटू उर्फ महेन्द्र सिंह पुत्र पर्वत सिंह को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर मोंटू उर्फ महेन्द्र सिंह उर्फ बलवीर सिंह पुत्र पर्वत सिंह जाति राजपूत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.03.22 12:22:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां
(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल